3/10/19 पत्र० पेश हुई। वकील आप पक्ष हाजिर वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी की जावे। पत्र० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। Rv

दावा संख्या

प्रकाश

जिल

1. गणेश बे

सीक

2. भूमि धार

दावा ब

रा

उपस्थि

वकील

तथ्य

126

छोटे

प्रति

भूमि

हुई

पैदा

जा

होने

है

लिय

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

दावा संख्या 53/2019

प्रकाश बेरवाल पुत्र श्री गणेश बेरवाल जाति जाट निवासी किरडोली तहसील धोद जिला सीकर राजस्थान

– वादी –

बनाम

1. गणेश बेरवाल पुत्र स्व0 बालूराम जाति जाट निवासी ग्राम किरडोली तहसील धोद जिला सीकर राजस्थान
2. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं0 धरा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अं0 धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील वादी – श्री प्रकाश बेरवाल

वकील प्रतिवादी – श्री ओमप्रकाश मील ———

निर्णय

दिनांक – 3.10.2019

वकील वादी श्री प्रकाश बेरवाल ने एक दावा प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम किरडोली की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 1265/35, 1266/35 व ख. नं. 33 किता 3 रकबा 5.17 है0 एवं ग्राम परडोली छोटी में खसरा नम्बर 39 व 412 किता 2 रकबा 5.43 है0 अवस्थित है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। उक्त कृषि भूमियां पैतृक कृषि भूमियां है जो प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पिता बालूराम से जरिये विरासतन प्राप्त हुई हैं। उक्त भूमियां पैतृक होने से वादी का 1/2 हिस्सा बाई बर्थ नोशनल शेयर पैदा हो गया इसलिये वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जारि राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने के कारण वादी अपने हिस्से की भूमि का विकास सही ढंग से नहीं कर सकता है ना ही ऋण आदि ले सकता है । वादी ने अपने हिस्से की भूमि अलग करने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल कर रहा है। अतः वाद स्वीकार किया

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

जाकर वादी को उक्त भूमियों का 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रति0 सं0 2 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित आये तथा ईकबाली जवाबदावा पेश किया ।

प्रकरण में बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई । वकील प्रतिवादी ने दावा वादी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076–79 के अनुसार ग्राम किरड़ोली की भूमि खसरा नम्बर 1265/35, 1266/35 व ख. नं. 33 किता 3 रकबा 5.17 है0 एवं ग्राम परडोली छोटी में खसरा नम्बर 39 व 412 किता 2 रकबा 5.43 है0 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। नामा0 संख्या 537 व 300 के अनुसार भूमि पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बालूराम के नाम दर्ज थी तथा जरिये विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब दावा में वादी के वाद को स्वीकार किया गया है तथा बरवक्त बहस भी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपर्युक्त विवेचन एवं रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि उपरोक्त भूमियां पैत्क कृषि भूमियां है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 पिता पुत्र है। वादी का बाई बर्थ नोशनल शेयर 1/2 हिस्सा बनता है। प्रतिवादी को वाद स्वीकार किये जाने में कोई एतराज नहीं है।

आज्ञा

वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम किरडोली तहसील धोद की भूमि खसरा नम्बर 1265/35, 1266/35 व ख. नं. 33 किता 3 रकबा 5.17 है0 में 1/2 हिस्से का एवं ग्राम परडोली छोटी तहसील धोद की भूमि खसरा नम्बर 39 व 412 किता 2 रकबा 5.43 है0 में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष 1/2 भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रहेंगी। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के 1/2 हिस्से में किसी प्रकार से दखलदांजी नहीं करें। डिक्री जारी हो। तहसीलदार इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 3.10.2019 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर